उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या :: **173/23/E-01/DR/PCS/2023-24** दिनाँक :: 02 सितम्बर, 2024

विज्ञप्ति
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या– A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनाँक 14 मार्च, 2024, शुद्धिपत्र सख्या–116/23/E-01/DR/PCS/2023-24, दिनाँक 01 जुलाई, 2024 एवं शुद्धिपत्र सख्या–120/23/E-01/DR/PCS/2023-24 दिनाँक 03 जुलाई, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के अन्तर्गत विज्ञापित 182 पद के सापेक्ष दिनांक 14 जुलाई 2024 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या–142/08/PCS(Pre-24)/G-2/2024-25, दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा घोषित किया गया है।

2. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा कराते हुए, मुख्य परीक्षा हेतु नगर के चयन का विकल्प मंगाये जा रहे हैं। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु, निर्धारित अंतिम तिथि तक नगर का चयन हेतु विकल्प भरते हुए परीक्षा शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

3. दिनांक 16 नवम्बर, 2024 से 19 नवम्बर, 2024 तक हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

i	मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क **Net Banking/ Debit Card/ Credit Card/ UPI** के माध्यम से जमा करने की प्रारम्भ तिथि–	07.09.2024 (शनिवार)
ii	मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क **Net Banking/ Debit Card/ Credit Card/ UPI** के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि–	21.09.2024 (शनिवार)

4. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित नगरों में से अपना विकल्प प्रस्तुत किया जाना है–

नगर का नाम	नगर कोड
हरिद्वार	01
हल्द्वानी	02

नोट– केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 हेतु जारी विज्ञापन संख्या– A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनाँक 14 मार्च, 2024 के बिन्दु संख्या–18(ख) (3) के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य हैं–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Aplication Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 250	रू0 22.30	रू0 272.30
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रू0 100	रू0 22.30	रू0 122.30
04.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
05.	शारीरिक दिव्यांगजन	कोई शुल्क नहीं	रू0 22.30	रू0 22.30
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	**कोई शुल्क नहीं**	**कोई शुल्क नहीं**	**कोई शुल्क नहीं**

नोट : (1) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/ उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा– सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या– 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं0– 232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदो के सापेक्ष निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू0 22.30 देय होगा।

6. मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के बिन्दु संख्या–18 (ख) (2) के आलोक में निरस्त कर दिया जाएगा।

7. प्रश्नगत परीक्षा के इस चरण में मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट प्रति के साथ अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षणिक/आरक्षण आदि संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पृथक से समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति सहित समस्त अनिवार्य अभिलेख मंगाये जाने हेतु सूचित किया जायेगा।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।